



Neutral Citation No. - 2026:AHC:45945

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 643 वर्ष 2026

बच्चू सिंह

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता	: विशाल खंडेलवाल
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	: अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थीगण का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा ग्राम सभा (प्रत्यर्थी संख्या 4) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. वर्तमान रिट याचिका, अन्य बातों के अतिरिक्त, निम्नलिखित राहतों की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है—

(i) एक रिट, आदेश अथवा निर्देश, परमादेश के स्वरूप में जारी कर प्रत्यर्थी संख्या 2 एवं 3 को निर्देशित/आदेशित किया जाए कि वे वाद संख्या 898 में दिनांक 25.08.2005 के आदेश तथा वाद संख्या 159 में दिनांक 06.06.1991 के आदेश को उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 6(2) के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेखों में लागू करें तथा विवादित भूमि की नवीन खतौनी की प्रति याची को प्रदान करें;

(ii) एक रिट, आदेश अथवा निर्देश, परमादेश के स्वरूप में जारी कर प्रत्यर्थी संख्या 2 एवं 3 को निर्देशित किया जाए कि वे याची द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 03.10.2025 (संलग्नक संख्या 5 एवं 6) का निस्तारण उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 6(2) के प्रावधानों के आलोक में करें तथा संशोधित खतौनी की प्रति तत्काल उपलब्ध कराएं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. याची की अभ्यावेदन यह है कि राज्य प्राधिकारी उपर्युक्त आदेशों को, जो कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 6(2) के अंतर्गत प्रभावी किए जाने अपेक्षित हैं, लागू नहीं कर रहे हैं।

4. यह निवेदन किया गया कि संबंधित इकाई/ग्राम को उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत अधिसूचना से विमुक्त कर दिया गया है। धारा 6(1) के अंतर्गत चकबंदी कार्यवाही के निरस्तीकरण से पूर्व, समेकन अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2005 एवं 06.06.1991 अंतिम रूप से प्रभावी हो चुके हैं, क्योंकि उक्त आदेशों को किसी भी सक्षम न्यायालय के समक्ष किसी भी पक्षकार द्वारा चुनौती नहीं दी गई। अतः राज्य प्राधिकारियों पर विधिक दायित्व है कि वे उक्त आदेशों को धारा 6(2) के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेखों में लागू करें।

5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर में यह निवेदन किया कि याची की अभ्यावेदन का अधिक उपयुक्त निराकरण उपनिदेशक चकबंदी द्वारा किया जा सकता है, अतः न्यायालय यह निर्देश प्रदान कर सकता है कि याची एक नवीन अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, जिसका निस्तारण निर्धारित समयावधि में किया जाए।

6. उपर्युक्त परिस्थितियों में, इस वाद को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। अतः यह न्यायालय वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम निस्तारण करते हुए याची को यह स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह अपने अभ्यावेदन के संबंध में, वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए मुद्दों के संदर्भ में, प्रत्यर्थी संख्या 3 (जिला उपनिदेशक चकबंदी) के समक्ष आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति तथा वर्तमान रिट याचिका की स्वप्रमाणित प्रति के साथ, एक नवीन अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। तत्पश्चात्, प्रत्यर्थी संख्या 3 स्वयं अथवा विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से, यदि कोई विधिक बाधा न हो, उक्त अभ्यावेदन पर विचार कर उसका निस्तारण विधि के अनुसार, यथाशीघ्र, अधिमानतः तीन माह की अवधि के भीतर करेगा।

7. उपर्युक्त टिप्पणियों एवं निर्देशों के साथ वर्तमान रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

दिनांक : 27 फरवरी 2026

विनय

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”